न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नागौर
पीठासीन अधिकारी: मुरारी लाल शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 33/18 दायरा दिनांक: 8-5-2018

कालूराम बनाम मदनलाल वगै.
आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति: श्री राजाराम अरिया एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 18-12-18

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है: प्रार्थी कालूराम ने अप्रार्थी मदनलाल वगैरह के विरुद्ध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा न. 341 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ग्राम गाजू में स्थित है दिनांक 27-4-2018 को पटवारी गाजू ने खसरा न. 341 का माप करके रिपोर्ट तहसीलदार मूण्डवा के समक्ष पेश की थी अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार सीवें कायम नहीं करने दी खसरा न. 341 के आस पास अप्रार्थीगण 1 से 5 का कोई खेत भी नहीं है फिर भी पत्थरगड्डी नहीं करने दे रहे है अतः खसरा न. 341 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा मौजा गाजू का पुलिस इमदाद के साथ सीमा ज्ञान करवाया जाकर पत्थरगड्डी करावें।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण 1 से 6 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे अप्रार्थीगण स. 1 से 6 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण स. 1 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी ग्राम गाजू के खसरा न. 341 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार है खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि पर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगड्डी करवाने का अधिकार है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र अनुसार अप्रार्थी सं. 1 से 5 का खेत भी खसरा

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) नागौर

2

नं० 341 के आस पास भी नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुण्डवा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम गाजू के खसरा नं० 341 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का पड़ौसी खातेदारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगड़ी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगड्डी शुल्क तहसीलदार मुण्डवा वसूल करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18-12-2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
18-12-18
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) नागौर
नागौर